(84)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1230–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–4–2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) लश्कर ग्वालियर, प्रकरण कमांक 45/13–14/अपील.

.....

उपेन्द्र चतुर्वेदी पुत्र स्व0श्री परमेश्वरीदास चतुर्वेदी,
निवासी कर्नल साहब की डयोढ़ी, लश्कर ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

सिंधिया देव स्थान ट्रस्ट
द्वारा सचिव करण सिंह राणा पुत्र स्व0श्री सुरेंद्रसिंह राणा,
निवासी जयविलास परिसर ग्वालियर

..... अनावेदक

.....

श्री एस0पी0चतुर्वेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्री अजय शर्मा, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/12/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) लश्कर ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक सिंधिया देव स्थान ट्रस्ट द्वारा सचिव करण सिंह राणा पुत्र स्व0श्री सुरेंद्रसिंह राणा ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 4–7–2011 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष

प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 45/2013–14/अपील दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अवधि विधान की धारा 5, अपील प्रस्तुत करने की अनुमति सहित 5 आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त पांचों आवेदन पत्र पर तर्क हेतु प्रकरण नियत किया गया । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा सर्वप्रथम अपील अनुमति के आवेदन पर तर्क सुने जाने का अनुरोध किया गया, जिसका विरोध अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–4–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक के निवेदन को अस्वीकार करते हुये पाचों आवेदन पत्र पर तर्क हेतु प्रकरण नियत किया जाकर दिनांक 26–4–2016 की तिथि नियत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकिया का पालन नहीं किया गया है, उन्हें सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के आवेदन पत्र पर विचार करना था, तत्पश्चात् गुणदोष पर विचार किया जाना चाहिये था, क्योंकि यदि अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है तब प्रकरण के गुणदोष पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय में प्रचलित निगरानी प्रकरण कमांक 1231–पीबीआर/2016 में अनावेदक हितबद्ध पक्षकार है, इसलिये उसे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सभी आवेदन पत्रों पर सुनवाई कर निराकरण करने में न तो किसी प्रकार की कोई अन्यायपूर्ण कार्यवाही होने की संभावना है और न ही विधि के किसी

प्रावधान का उल्लंघन है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने कई आवेदन देकर अधीनस्थ न्यायालय में आपत्तियॉ ली गई है, जिन पर कई पेशीयों में तर्क आदि के लिये समय भी लिया जाता रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत पॉचों आवेदनों पर निराकरण हेतु एक साथ तर्क के लिये प्रकरण नियत किया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी उपस्थित है । अधीनस्थ न्यायालय की इस प्रकिया में कोई अवैधानिकता दिखलाई नहीं पड़ती है, उन्होंने उभयपक्ष को पर्याप्त अवसर दिये हैं । प्रकरण को शीघ्र निराकरण की दृष्टि से सभी आपत्तियों को एक साथ सुनने में कोई वैधानिक बाधा नहीं है और न ही इससे आवेदक के कोई अधिकारों का हनन होता है । आवेदक के हितों पर आपत्तियों के निराकरण के बाद ही प्रभाव की स्थिति बन सकती है, मात्र तर्क के लिये नियत करने पर नहीं। आवेदक को चाहिये कि वह अधीनस्थ न्यायालय में सहयोग करें तथा प्रकरण का शीघ्र निराकरण होने दे ।

6/ उक्त प्रकाश में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है । अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभयपक्ष को सुनकर शीघ्र आपत्तियों का निराकरण कर प्रकरण का अंतिम निराकरण भी दो माह की समय सीमा में करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर